भाग III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें		नहीं ।
	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षकं के सुझावों से सहमत है।		सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल सीहोर के द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, बुधनी – इंदौर नवीन BG रेल्वे लाईन निर्माण हेतु परिक्षेत्र बुधनी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 599, आर.एफ. 611, आर.एफ. 613 एवं परिक्षेत्र रेहटी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 596 की कुल 24.920 हेक्टेयर वनभूमि, रेल विकास निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश भोपाल को उपयोग पर देने के लिए, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, व्यपवर्तन की अनुमति बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि 22 / 08 / 2023

स्थान: भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(राजेश कुमार खरे)

वनसंरक्षक,

भोपाल वृत्त भोपाल

22/8/23

E:/cf act year 2012/FCA-1980 proforma ...

Scanned by CamScanner

कार्यालय वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74 बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

क्रमांक/मा.चि./ 2203

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश भोपाल

विषयः– सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी – इंदौर नवीन BG रेल्वे लाईन निर्माण हेतु 24.920 हेक्टेयर वनभूमि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, रेल विकास निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश भोपाल को उपयोग पर देने बावत।

(ऑन लाईन प्रस्ताव क्र FP/MP/RAIL/42206/2019)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/एफ–5/2021/10–11/3565 दिनांक 27/10/2021 एवं वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर का पत्र क्रमांक/माचि/2031 दिनांक 10/08/2023

––00––

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल सीहोर ने संदर्भित पत्र द्वारा जिला सीहोर, वनमंडल सीहोर अंतर्गत बुधनी – इंदौर नवीन BG रेल्वे लाईन निर्माण हेतु परिक्षेत्र बुधनी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 599, आर.एफ. 611, आर.एफ. 613 एवं परिक्षेत्र रेहटी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 596 की कुल 24.920 हेक्टेयर वनभूमि, रेल विकास निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश भोपाल को उपयोग पर देने के लिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, निर्धारित प्रारूप भाग II की पूर्ति उपरांत, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कुल 1688 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल 24.920 हेक्टर वनभूमि के बदले, क्षतिपूर्ति वनीकरण, वनमंडल सीहोर अन्तर्गत 50.000 हेक्टेयर दुगने बिगडे. वनभूमि पर किया जाना प्रस्तावित किया गया हैं। प्रकरण में वनमंडलाधिकारी सामान्य सीहोर ने उनके पत्र क्रमांक/माचि/387 दिनांक 20/02/2023 द्वारा ग्राम शिकारपुर परिक्षेत्र सीहोर, बीट बमूलिया के कक्ष क्रमांक आर एफ 33 में 50.000 हेक्टर दुगने बिगड़े वनक्षेत्र पर, क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि रूपये 1,47,00,000/– की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2024–25 से 2034–35 तक के लिए तैयार कर, तकनीकी स्वीकृति हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यालयीन आदेश क्र/माचि/87 दिनांक 3/03/2023 द्वारा जारी की जा चुकी हैं, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल सीहोर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, सहमति सहित दो प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः–यथावर्णित।

वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त, भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 2204

प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2031 दिनांक 10/08/2023 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित। प्रस्तावित रेल्वे लाईन निर्माण में सीहोर वनमंडल अंतर्गत 452.35 हेक्टेयर राजस्व भूमि भी प्रभावित हो रही हैं। अतः सुनिश्चित कर ले कि उक्त राजस्व क्षेत्र में, कोई राजस्व वनभूमि तो नहीं हैं। उचित होगा कि इस हेतु इस आशय का तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर नस्थी में संलग्न कर ले, ताकि बाद में कोई विरोधाभाष न हो एवं यदि राजस्व वनक्षेत्र भी प्रभावित होता है, तो उसे व्यपवर्तन की अनुमति हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में जोड़कर तदानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

2. मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल, 174/2 शक्ति नगर, भोपाल (अलकापुरी गेट न0 1 के सामने) की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित।

वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त, भोपाल

22/8/23

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2023.doc

Scanned by CamScanner